उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स एक झलक-

1-होम गार्ड्स विभाग का परिचय- होम गार्ड्स संगठन की स्थापना भारत सरकार के कम्पेडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन एवं होम गार्ड्स अधिनियम-1963 में निहित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत हुई है। होम गार्ड्स संगठन के सदस्यों की सेवाएं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने, यातायात व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं विभिन्न सुरक्षा ड्यूटियों में सहयोग करने में पुलिस की सहायता हेतु ली जाती है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संग्ठन में वैतनिक एवं अवैतनिक दोनों प्रकार के अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है। होम गार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सथापित है। उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित है। उत्तर प्रदेश संगठन के मुखिया शासन स्तर पर प्रमुख सचिव एवं विभागीय स्तर पर पुलिस महानिदेशक स्तर के आई0पी0एस0 अधिकारी तैनात है।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की संख्या का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

(१) होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की कुल स्वीकृत संख्या- 1,18,348
(२) उक्त संख्या के अन्तर्गत ग्रामीण पुरूष कम्पनियों की संख्या- 785
(३) नगरीय पुरूष कम्पनियों की संख्या - 341
(४) नगरीय महिला प्लाटूनों कम्पनियों की संख्या- 25
(५) नगरीय स्वतंत्र महिला प्लाटूनों की संख्या- 60

होम गार्ड्स विभाग के गठन के बाद से अब तक होम गार्ड्स विभाग द्वारा अपने कार्यकाल में कई कीर्तिमान सथापित किये गये है।

- देश में होम गार्ड्स की कुल संख्या 5 (पांच) लाख है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,18,348 की संख्या निर्धारित है, जो देश की संख्या का 1/5 हिस्सा है।
- 1971 के युद्ध में 5 होम गार्ड्स बटालियन ईस्ट पाकिस्तान भेजी गयी थी।

होम गार्ड्स के कर्तव्य

- यह पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करते है।
- यह हवाई हमलों, आग लगने, बाढ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातकाल के समय लोक समाज की सहायता करने में जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं।
- यह ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जो नियम किये जाते है, आपातकालीन दल के रूप में सम्पादित करते हैं।
- यह अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाइयों की वयवस्था सुनिश्चित करते है।
- यह लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्य ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो शासन/प्रशासन द्वारा नियत किये जाते हैं।

2-विभाग का गठनः- यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय होम गार्ड्स संगठन की स्थापना स्वैच्छिक संगठन के रूप में यूनाईटेड किंगडम में हुई थी, किन्तु भारत में मूलतः गृहरक्षक बल के रूप में होम गार्ड्स बल को प्रथमतः 1946 में बनाया गया था। अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना एवं अन्य सुरक्षा संगठनों के अतिरिक्त जुड़वा स्वैच्छिक संगठन के रूप में "नागरिक सुरक्षा तथा गृहरक्षक" को संस्थापित किया गया। तत्समय 1946 में बाम्बे प्रान्त में हो रहे नागरिक विकारों एवं साम्प्रदायिक दंगों की उथल-पुथल के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के सहायतार्थ नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में स्व0 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गृह रक्षक टुकडी संस्थापित की गई थी। कालान्तर में 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की पृष्ठभूमि में होम गार्ड्स संगठन की स्थापना हुई और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप "उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन" की स्थापना 06 दिसम्बर 1962 को हुई। कार्यात्मक इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन को परिचालित करने के लिए "उत्तर प्रदेश

होम गार्ड्स अधिनियम 1963" को 30 दिसम्बर 1963 को अधिनियमित किया गया। 1972 में इस अधिनियम में कतिपय प्रमुख संशोधन किए गए।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन, उ0प्र0 षासन के अन्तर्गत् एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में संस्थापित एवं क्रियाशील है। होम गार्ड्स विभाग माननीय कैबिनेट मंत्री जी होम गार्ड्स उत्तर प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन क्रियाशील विभाग है। विभाग में अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, अनुसचिव होम गार्ड्स नियुक्त हैं , साथ ही होम गार्ड्स विभाग का एक स्वतन्त्र अनुभाग भी है, जो अनुभाग अधिकारी होम गार्ड्स के नियन्त्रण/पर्यवेक्षण में क्रियाशील है।

संगठनात्मक ढांचा- होम गार्ड्स विभाग के संगठनात्मक ढांचे के अन्तर्गत होम गार्ड्स मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल कार्यालय-आगरा, प्रयागराज, झांसी, 18 मण्डलीय कमाण्डेण्ट कार्यालय, 12 मण्डलीय कमाण्डेण्ट प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय एवं 75 जनपदों में जिला कमाण्डेण्ट होम गार्ड्स कार्यालय कार्यात्मक इकाइयों के रूप में संचालित हैं, विभागाध्यक्ष कमाण्डेण्ट जनरल आई0पी0एस0 कैडर के वरिष्ठम अधिकारी होते है, कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष क्रमशः उप महासमादेष्टा (मुख्यालय), उप महासमादेष्टा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उप महासमादेष्टा, मण्डलीय कमाण्डेण्ट एवं जिला कमाण्डेण्ट होम गार्ड्स होते है।

होम गार्ड्स मुख्यालय स्तर- होम गार्ड्स मुख्यालय स्तर पर महा समादेष्टा, अपर महासमादेष्टा, संयुक्त महा समादेष्टा, उप महा समादेष्टा, स्टाफ आफिसर टू कमाण्डेण्ट जनरल, ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी, वित्त नियंत्रक एवं कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी तैनात होते हैं महासमादेष्टा-पुलिस महानिदेशक स्तर के आई0पी0एस0 संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी, कमाण्डेण्ट जनरल/महासमादेष्टा होम गार्ड्स के पद पर तैनात होते है एवं उ0प्र0 होम गार्ड्स संगठन के विभागाध्यक्ष होते हैं, जिनके नियंत्रणाधीन विभिन्न स्तरों पर निम्न अधिकारी/कार्मिक तैनात होते हैं जो होम गार्ड्स के ड्यूटी प्रतिस्थापन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रशासन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं :-

1- पुलिस महानिरीक्षक/अपर महासमादेष्टा- विभाग में 01 पद विद्यमान है, जिस पर आई0पी0एस0 संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी तैनात होते हैं, जो महासमादेष्टा के कार्यो में उनका सहयोग करते हैं।

2-संयुक्त महासमादेष्टा- विभाग में 01 पद विद्यमान है, जिस पर उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी तैनात होते है।

3-उप महासमादेष्टा (पुलिस) :- 01 पद विद्यमान है, जिस पर आई0पी0एस0, संवर्ग के अधिकारी की तैनाती होती है।

4-उप महासमादेष्टा होम गार्ड्स मुख्यालयः- होम गार्ड्स मुख्यालय के कार्यालयाध्यक्ष होने के साथ-साथ महासमादेष्टा के कार्यो में पूर्ण सहयोग करते हैं। लखनऊ मण्डल के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का भी अतिरिक्त रूप से निर्वहन करते हैं।

5-उप महासमादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानः- अराजपत्रित विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ स्वयंसेवी अधिकारियों का प्रशिक्षण कराना एवं पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ प्रदेश के समस्त मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी समय सारिणी निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

6-स्टाफ आफिसर टू कमाण्डेण्ट जनरलः- महासमादेष्टा के कार्यो में सहयोग हेतु एक पद विद्यमान है जिसपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की तैनाती होती है।

7-वित्त नियन्त्रकः- वित्तीय कार्यो में सहयोग एवं निस्तारण हेतु वित्त सेवा का 01 पद विद्यमान है।

8-चिकित्साधिकारीः- चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारियों के 02 पद विद्यमान हैं।

9-ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारीः- होम गार्ड्स सेवा समूह "क" का 01 पद विद्यमान है, जो मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1 श्रेणी का है।

10-कनिष्ठ स्टाफ अधिकारीः- होम गार्ड्स सेवा समूह "ख" के 02 पद विद्यमान है, जो जिला कमाण्डेण्ट होम गार्ड्स श्रेणी के है।

11-मुख्य प्रशासनिक अधिकारीः-01 पद होम गार्ड्स मुख्यालय पर विद्यमान है।

12-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीः-01 पद होम गार्ड्स मुख्यालय पर विद्यमान है।

13- प्रशासनिक अधिकारीः-04 पद होम गार्ड्स मुख्यालय पर विद्यमान है।

14-सहायक लेखाधिकारीः-01 पद होम गार्ड्स मुख्यालय पर विद्यमान है।

15-लिपिक वर्गीय/अनुसचिव वर्गीयः-विभाग में कुल 448 पद विद्यमान हैं जो होम गार्ड्स मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, डिप्टी सीजी कार्यालय, मण्डलीय कार्यालय, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय एवं जिला कमाण्डेण्ट कार्यालयों पर, प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, दफ्तरी, साइक्लो आपरेटर के रूप में तैनात होते हैं। **परिक्षेत्रीय स्तर-** परिक्षेत्रीय स्तर पर उप महासमादेष्टा के 03 पद आगरा, प्रयागराज एवं झांसी में विद्यमान हैं जिन पर उप महासमादेष्टा होम गार्ड्स की तैनाती होती है। आगरा परिक्षेत्र के अन्तगत् आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल सम्मिलित किए गए हैं। झांसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत झांसी, चित्रकूट एवं कानपुर मण्डल सम्मिलित हैं। प्रयागराज परिक्षेत्र के अन्तर्गत् प्रयागराज, विंध्याचल, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन एवं अयोध्या मण्डल समाहित हैं।

मण्डल स्तर- प्रदेश के 18 मण्डलों एवं 12 मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर होम गार्ड्स सेवा समूह 'क' के विभागीय अधिकारियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है-

मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-2- मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-2 के 06 पद विद्यमान हैं, जिन पर चिह्नित/ प्रोन्नत वरिष्ठतम मण्डलीय कमाण्डेण्ट की तैनाती का प्रावधान है।

मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1- होम गार्ड्स सेवा समूह 'क' के अन्तर्गत् मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1 के 12 पद विद्यमान हैं, जो प्रदेश के 12 मण्डलों में तैनात होते हैं।

मण्डलीय कमाण्डेण्ट (प्रशिक्षण) :- होम गार्ड्स सेवा समूह "क" के अन्तर्गत, मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1 श्रेणी के मण्डलीय कमाण्डेण्ट (प्रशिक्षण) के रूप में 12 पद विद्यमान हैं। **जनपद स्तर-** जनपद स्तर पर प्रदेश के कुल जनपदों के सापेक्ष जिला कमाण्डेण्ट होम गार्ड्स सेवा समूह "ख" के 75 पद विद्यमान हैं , जो प्रदेश के 75 जनपदों में तैनात होते हैं। इनमें से 50 प्रतिशत लोकसेवा आयोग की राज्य सिविल/अधीनस्थ सेवा परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत विभागीय अराजपत्रित पदों से प्रोन्नति द्वारा तैनात होते हैं।

वैतनिक कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षकः- विभाग में कुल 54 पद विद्यमान हैं , जो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रदेश के 27 जनपदों में ही स्वीकृति के सापेक्ष तैनात होते हैं।

वैतनिक प्लाटून कमाण्डरः- विभाग में कुल 207 पद स्वीकृत हैं, जो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों, जनपदों की नगरीय कम्पनियों में प्लाटून कमाण्डर के रूप में एवं जिला कमाण्डेण्ट के सहायक के रूप में तैनात होते हैं।

ब्लॉक आर्गनाइजरः- प्रदेश के वर्तमान 822 विकास खण्डों के सापेक्ष, पूर्व स्वीकृत 794 विकास खण्डों की संख्या के अन्तर्गत् ब्लॉक आर्गनाइजर के कुल 794 पद स्वीकृत हैं, जो प्रदेश के विकास खण्डों के अनुसार स्वीकृत ग्रामीण कम्पनियों में तैनात होते हैं ।

कनिष्ठ प्रशिक्षक/हवलदार प्रशिक्षकः- कुल 335 पद स्वीकृत हैं, जो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों, जनपद कार्यालयों में जवानों को प्रभावी प्रशिक्षण देने हेतु तैनात होते हैं।

अवर अभियन्ता/डि0 रावडर/वाहन चालकः- कुल 91 पद स्वीकृत हैं, जो होम गार्ड्स मुख्यालय सहित प्रदेश की समस्त इकाईयों में तैनात होते हैं।

चतुर्थ श्रेणीः- कुल 1385 पद स्वीकृत हैं जो कम्पनी रनर, चौकीदार, अर्दली चपरासी आदि के रूप में प्रदेश की सभी इकाईयों में तैनात होते हैं ।

स्वयंसेवी जनशक्ति- उ0प्र0 होम गार्ड्स संगठन में कुल 118348 स्वयंसेवक एवं स्वयंसेवी/मानदेयी अधिकारियों का स्वीकृत नियतन हैः-

1-स्वयंसेवी कम्पनी कमाण्डरः- प्रदेश की कुल कम्पनियों के सापेक्ष 1151 पद नियत हैं जिन्हें प्रतिमाह रू0 1490=00 का मानदेय और ड्यूटीरत होने पर नियत ड्यूटी भत्ता प्राप्त होता है, यह एक पर्यवेक्षकीय पद है।

2-स्वयंसेवी सहायक कम्पनी कमाण्डरः- कुल 1151 पद नियत हैं, इन्हें प्रतिमाह रू0 1160=00 का मानदेय एवं ड्यूटीरत होने पर ड्यूटी भत्ता प्राप्त होता है।

3-स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डरः- कुल 3513 पद नियत हैं जिन्हें प्रतिमाह रू0 990=00 का मानदेय एवं ड्यूटीरत होने पर ड्यूटी भत्ता प्राप्त होता है।

4-होम गार्ड्स स्वयंसेवकः- होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की कुल 112533 की संख्या नियत है, इन्हें ड्यूटी करने पर प्रतिदिवस रू0 600=00 ड्यूटी भत्ता (महंगाई भत्ता अतिरिक्त) प्राप्त होता है।

प्रदेश में कम्पनियों की स्वीकृत संख्याः- उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ब्लॉक एक कम्पनी के गठन का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत् प्रारम्भ में 110 जवानों का नियतन नियत था, किन्तु वर्तमान में प्रति कम्पनी 100 का नियतन नियत है। सीमावर्ती जनपदों में प्रारम्भ में प्रति कम्पनी एक अतिरिक्त प्लाटून का प्रावधान था, किन्तु वर्तमान में उनमें भी 100 की संख्या ही नियत है। नगरीय क्षेत्रों में प्रति 25 हजार की जनशक्ति पर एक कम्पनी का नियतन नियत है और वर्तमान में उसमें भी 100 की संख्या ही निर्धारित है। वर्तमान में प्रदेश में कम्पनियों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित है-

1-ग्रामीण कम्पनी की संख्या- 775
2-शहरी कम्पनी की संख्या-341
3-महिला कम्पनी की संख्या- 25
4-महिला प्लाटून (स्वतन्त्र)- 60

कम्पनी की जनशक्तिः- वर्तमान में प्रदेश में प्रत्येक कम्पनी की नियत संख्या 100 है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

1-स्वयंसेवी कम्पनी कमाण्डर------01
2-स्वयंसेवी सहायक कम्पनी कमाण्डर-01
3-स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डर------03
4-होम गार्ड्स स्वयंसेवक---------95

होम गार्ड्स स्वयंसेवक के मध्य से ही कम्पनी सर्जेन्ट मेजर, कम्पनी क्वार्टर मास्टर, प्लाटून सार्जेन्ट एवं सेक्षन लीडर नामित किए जाने की परम्परा विद्यमान है।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटियों का विवरणः- वर्तमान में उपलब्ध संख्या को शतप्रतिशत ड्यूटी प्राप्त हो रही है। होम गार्ड्स स्वयंसेवक वर्तमान में पुलिस के सहायक के रूप में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, डायल-112 में वाहन चालक की ड्यूटी, यातायात संचालन की ड्यूटी, अग्निशमन कार्यालयों में अग्निशमन सहायक की ड्यूटी (फायर फाइटर्स) कारागार सुरक्षा ड्यूटी, आपदा मोचक दलों के साथ आपदा सहायक की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों यथा भारतीय खाद्य निगम, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, खनन विभाग, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, रेलवे, विमान पत्तन आदि में भुगतान के आधार पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं।

प्राप्त होने वाले भत्तेः-

1-ड्यूटी भत्ता- 600=00 प्रतिदिवस (महंगाई भत्ता अतिरिक्त),
2-प्रशिक्षण भत्ता-260=00 प्रतिदिवस(100 रू0 भोजन भत्ता 160 रू0 पाकेट भत्ता),
3-रिफ्रेशर परेड भत्ता- 100=00 प्रतिपरेड प्रति होम गार्ड्स ।

मानदेयः-

क-स्वयंसेवी कम्पनी कमाण्डर----------रू0 1490=00 प्रतिमाह,

ख-स्वयंसेवी अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर-रू0 1160=00 प्रतिमाह,
ग-स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डर----------रू0 990=00 प्रतिमाह,

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं :- उ0प्र0 होम गार्ड्स संगठन में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेवी अधिकारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं:-

1-कल्याणकोषः -स्वयंसेवी सदस्यों के कल्याणार्थ रूपया दस करोड़ की धनराशि से कल्याणकोष संस्थापित एवं संचालित है, जिसके ब्याज के रूप में विभाग को प्राप्त होने वाली धनराशि से स्वयंसेवी सदस्यों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सीय सहायता, ड्यूटी अवधि में असामयिक मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उच्च शिक्षार्जन हेतु अध्ययनरत उनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कल्याणकोष से अनुतोष प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का चयन कल्याणकोष समिति द्वारा किया जाता है जिसके निम्न सदस्य होते हैं :-

क- महासमादेष्टा होम गार्ड्स----अध्यक्ष,
ख-अपर मुख्य सचिव होम गार्ड्स द्वारा नामित शासन के प्रतिनिधि- सदस्य,
ग-वित नियन्त्रक होम गार्ड्स----सदस्य,
घ-उप महासमादेष्टा होम गार्ड्स--सदस्य,
ड़-ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी-----सदस्य,
च-महासमादेष्टा द्वारा नामित प्रकरण से भिज्ञ---सदस्य,

2-दुर्घटना बीमा योजनाः- ड्यूटी अवधि में दुर्घटना होने की स्थिति में-
-असामयिक मृत्यु होने पर -रू0 5 लाख की धनराशि ,
-दो अंगों अथवा दोनों आंखों की पूर्ण हानि होने पर- रू0 5 लाख की धनराशि ,
-एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण हानि होने पर- रू0 2.50 लाख की धनराशि ,
-पूर्ण स्थायी अपंगता यथा पक्षाघात होने पर- रू0 5 लाख की धनराशि ।

दुर्घटना, हत्या, सर्पदंश, करंट, बिजली गिरने, पानी में डूबने, अन्य किसी दैवीय आपदा एवं अन्य अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में शव को निवास स्थान तक ले जाने के लिए हुए वास्तविक व्यय के बाउचर प्रस्तुत करने पर व्यय हुई धनराशि देय है।

3-मृतक आश्रित भर्तीः- सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व असामयिक मृत्यु होने की दशा में, स्थायी अपंगता की अवस्था में होम गार्ड्स स्वयंसेवक/स्वयंसेवी अधिकारियों के आश्रितों को, उनकी योग्यता के अनुसार होम गार्ड्स स्वयंसेवक अथवा स्वयंसेवी अधिकारियों के पदों पर निर्धारित चयन समिति द्वारा समायोजित/नियुक्त किया जाता है।

विभागीय नियमावलियों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण शासनादेश एवं परिपत्रः-

1-उ0प्र0 होम गार्ड्स अधिनियम 1963,
2-उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवानियमावली 1982 समूह "ख",
3-उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 1996,
4-उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2009,
5- उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2015,
6- उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2018,
7- उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा षष्ठम संशोधन नियमावली 2020,
8- उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवानियमावली 1982 समूह "ग",
9- उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवानियमावली समूह "ग" मिनिस्टीरियल स्टाफ 1982,
10-उ0प्र0 सरकारी विभाग चालक सेवानियमावली 1993,
11-समूह "घ" कर्मचारी सेवानियमावली 1985,
12-उ0प्र0 होम गार्ड्स बैण्ड स्टाफ सेवानियमावली 2005,

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 होम गार्ड्स संगठन, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी "कम्पेडियम आफ इंस्ट्रक्शन" द्वारा परिचालित होता है। होम गार्ड्स के ड्यूटी प्रतिस्थापन,

प्रशिक्षण, भर्ती, स्क्रीनिंग, भुगतान आदि के सम्बन्ध में अन्य कई शासनादेश एवं विभागीय परिपत्र निर्गत हैं, जिनके अनुरूप समस्त विभागीय क्रियाकलाप परिचालित होते हैं।

<u>जनपदीय इकाईयों एवं कम्पनी स्तर पर संरक्षित किए जाने वाले अभिलेखः</u>-

<u>1-स्थापना से सम्बन्धित पंजिकाएं :</u>- एलोकेशन, फाईल इंडेक्स, अवकाश पंजिका- अर्जित/ आकस्मिक /अन्य, उपस्थित पंजिका, वैतनिक कार्मिकों की सेवापुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली, चरित्र पंजिकाएं, होम गार्ड्स का भर्ती रजिस्टर, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प पंजिका, स्टाफ बैठक पंजिका, शिकायत, रिफ्रेशर परेड की उपस्थिति पंजिका, ड्यूटी पंजिका, गार्ड फाईल, ऑडिट आपत्ति की पंजिका, वार्षिक वेतनवृद्धि पंजिका, निरीक्षण पंजिका, प्रशिक्षण पंजिका, नामिनलरोल, वाद पंजिका, दुर्घटना बीमा, कल्याणकोष, हिन्दी आदेश पुस्तिका आदि।

<u>2-लेखा सम्बन्धी पंजिकाएं :</u>- कैशबुक, वेतनबिल पंजिका, मानदेय, प्रकीर्ण व्यय, 11 सी, यात्रा भत्ता चेक पंजिका, भविष्य निर्वाह निधि कटौती, प्रतिभूति जमा, मस्टररोल भुगतान पत्र, 385 रसीद बुक, ऋण अग्रिम, आई0टी0आर एवं बैंक प्रारूप, वसूली एवं कटौती, चतुर्थ श्रेणी ब्राडशीट, ड्यूटी भत्ता भुगतान, बैंक खाता, ऑडिट, जी0पी0एफ0 पासबुक आदि।

<u>3-स्टोर एवं साज सज्जा से सम्बन्धित पंजिकाएं:-</u> वर्दी स्टॉक, मोबलाईजेशन, प्रशिक्षण साज-सज्जा, फर्नीचर एवं डेड स्टॉक, स्टेशनरी, आर्म्स किट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र की जनरल डायरी, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कैम्प रजिस्टर।

<u>4-कम्पनी स्तर पर अनुरक्षित होने वाली पंजिकाएं</u>:- नामिनलरोल, व्यक्तिगत पत्रावली भाग-2, स्टॉक रजिस्टर, उपस्थिति, वर्दी स्टॉक, इश्यू, किट इश्यू, परेड, प्रशिक्षण, रोस्टर, निरीक्षण, कण्डमनेशन एवं वसूली, परिचय पत्र, सामूहिक बीमा, प्राप्ति एवं प्रेषण, बैंक खाता आदि।

<u>विभाग में विभिन्न स्तरों पर अनुमन्य वर्दी, रैंक एवं बैजेज-</u>

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में अधिकारियों, कार्मिकों एवं होम गार्ड्स स्वयं सेवकों के लिए उनके पदानुसार वर्दी एवं बैजेज निर्धारित हैं, साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के लिए पृथक् से उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्या- 737/पन्चानबे-2017-12 होगा/17, दिनांक- 22/05/2018 निर्गत है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्नानुसार वर्दी एवं बैजेज निर्धारित हैं- महासमादेष्टा- आई0 पी0 एस0 संवर्ग के अधिकारी होते हैं, अशोक स्तम्भ, तलवार डण्डे का क्रॉस एवं कॉलर बैंड धारण करते हैं।

2- पुलिस महानिरीक्षक/ अपर महा समादेष्टा- आई0 पी0 एस0 संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो एक स्टार, तलवार डण्डे का क्रॉस एवं कॉलर बैंड धारण करते हैं।

3- उप महा समादेष्टा पुलिस- आई0 पी0 एस0 संवर्ग के अधिकारी होते हैं जो अशोक स्तम्भ, 03 सफेद स्टार, सिलवर लाइन के साथ नीला कॉलर बैंड धारण करते हैं।

4- उप महासमादेष्टा विभागीय- विभागीय उप महासमादेष्टा पुलिस उप महानिरीक्षक की तरह अशोक स्तम्भ, 03 सफेद स्टार, सिलवर लाइन के साथ नीला कॉलर बैंड तथा कंधा बैज के रूप में यू0पी0 एच0एस0 धारण करते हैं।

5- स्टाफ आफिसर टू कमाण्डेण्ट जनरल- अशोक स्तम्भ और एक सफेद स्टार धारण करते हैं।

6- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/ मण्डलीय कमाण्डेण्ट तथा उनके समकक्ष पद- 02 वर्ष की सेवा पर अशोक क्रॉउन, 02 वर्ष से अधिक व 05 वर्ष की सेवा पर अशोक क्रॉउन एवं 01 सफेद स्टार धारण करते हैं तथा 05 वर्ष की सेवा के पश्चात अशोक क्रॉउन एवं 02 सफेद स्टार, साथ ही सिलवर लाइनिंग के साथ नेवी ब्लू कॉलर बैंड और कंधा बैज के रूप में यू0पी0एच0एस0 धारण करते हैं।

7- कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/ जिला कमाण्डेण्ट- 02 वर्ष की सेवा पर एक सफेद स्टार, 02 से 05 वर्ष की सेवा पर 02 सफेद स्टार, 05 वर्ष से अधिक की सेवा पर 03 सफेद स्टार धारण करते हैं और कंधा बैज के रूप में यू0पी0एच0एस0 धारण करते हैं।

8- वैतनिक कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक- 03 पीला स्टार, रिबन के साथ खाकी डोरी और कंधा बैज के रूप में यू0पी0एच0जी0 धारण करते हैं।

9- वैतनिक प्लाटून कमाण्डर- 02 पीला स्टार, रिबन के साथ खाकी डोरी और यू0पी0एच0जी0 का कंधा बैज धारण करते हैं।

10- ब्लॉक आर्गनाइजर- 01 पीला स्टार, रिबन के साथ खाकी डोरी और यू0पी0एच0जी0 धारण करते हैं।

11- कनिष्ठ प्रशिक्षक/ हवलदार प्रशिक्षक- हवलदार प्रशिक्षक 03 फीती, दाएं बाजू पर क्रास का चिह्न, नायब हवलदार 02 फीती, लॉन्स नायक 01 फीती धारण करते हैं और खाकी डोरी के साथ यू0पी0 एच0जी0 धारण करते हैं।

12- स्वयंसेवी कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर- अपने समकक्ष वैतनिक कार्मिकों की तरह ही रैंक- बैजेज धारण करते हैं, किन्तु पीले स्टार के स्थान पर चांदी के रंग की पीली मेपल लीफ धारण करते हैं।

13- होम गाड्र्स- होम गाड्र्स स्वयंसेवक खाकी कमीज, खाकी पतलून, यू0पी0एच0जी0 का कंधा बैज, बैरेट कैप, कैप बैज, सीटी, डोरी, खाकी मोजा, बेल्ट और बूट धारण करते हैं। **प्रकारः**- वेब बेल्ट, सामब्राउन बेल्ट, क्रासबेल्ट,

कैप के प्रकारः- बैरेट, फोरेज, पीक्ड कैप।

विशेष अवसरों पर धारणीयः- पगडी या साफा, हैकिल्स, बैरेट कैप, सैश स्कार्फ, कमरबन्द, इन्कलेट, साम ब्राउन बेल्ट।